



सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती अभियान

प्रलिमिंस के लयि:

संयुक्त राष्ट्र, सगिल यूज़ प्लास्टिक, वशिव शौचालय दविस, स्वच्छ भारत मशिन

मेन्स के लयि:

सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती अभियान के महत्त्वपूरण बढि

चर्चा में क्यों?

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा '['वशिव शौचालय दविस'](#) (19 नवंबर) समारोह के भाग के रूप में एक सप्ताह का 'स्वच्छ अमृत दविस' तक चलने वाले सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती (Safari Mitra Suraksha Challenge- SSC) जागरूकता अभियान शुरू कयिा गया है।

- [स्वच्छ सर्वेक्षण 2021](#) में राज्यों, शहरों, यूएलबी और छावनी बोर्ड की भूमिका तथा प्रयासों को मान्यता देने और कचरा मुक्त स्टार रेटिंग प्रमाणन के लयि 20 नवंबर, 2021 को 'स्वच्छ अमृत दविस' पुरस्कार समारोह का आयोजन कयिा जाएगा।

'वशिव शौचालय दविस'

- वर्ष 2013 में [संयुक्त राष्ट्र](#) महासभा ने आधिकारिक तौर पर 19 नवंबर को वशिव शौचालय दविस के रूप में नामति कयिा। यह सरकारों और भागीदारों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र-जल (UN-Water) द्वारा समन्वति है।
- इसका उद्देश्य स्वच्छता को लेकर लोगों के मध्य नकारात्मक वचिारधारा को समाप्त करना है क्योंकि शौचालय और स्वच्छता के मुद्दे पर चुप्पी के घातक परिणाम हो सकते हैं।
- वर्ष 2021 की थीम शौचालयों के मूल्यांकन ([Valuing Toilets](#)) से संबंधति है।

प्रमुख बढि

- **सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती अभियान के बारे में:**
 - 'सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती' में कुल 246 शहर भाग ले रहे हैं जसि देश भर में आयोजति कयिा जा रहा है। राज्यों की राजधानयिों, शहरी स्थानीय नकिय और स्मार्ट शहर इस अभियान में भाग लेने के पात्र होंगे।
 - शहरों को तीन उप-श्रेणयिों (10 लाख से अधिक, 3-10 लाख और 3 लाख तक की आबादी) में सम्मानति कयिा जाएगा। कुल पुरस्कार राशि 52 करोड़ रुपए निर्धारति की गई है।
 - यह हाथ से मैला ढोने की प्रथा से नपिटने के सरकारी प्रयासों में से एक है।
- **सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती:**
 - SSC को 19 नवंबर, 2020 को वशिव शौचालय दविस के अवसर पर लॉन्च कयिा गया था।
 - सफाई मतिर सुरक्षा चुनौती (SSC) का उद्देश्य शहरों को अपने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्यों को मशीनीकृत करने के लयि प्रोत्साहति करना है।
 - सरकार द्वारा अपरैल 2021 में सभी राज्यों के लयि सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने के लयि चेलेंज फॉर आल की शुरुआत की गई। इसके साथ ही यद किस्ी व्यक्ति को अपरहिर्य आपात स्थति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित उपकरण/सामग्री और ऑक्सीजन सलेंडर आदि उपलब्ध कराए जाने चाहयि।
- **शुरू की गई पहलें:**
 - SSC अभियान के तहत ऋण मेले जैसी कई पहलें शुरू की गई हैं। SSC के अंतर्गत [राष्ट्रीय सफाई करमचारी वतित और वकिस नगिम](#) (NSKFD), सामाजिक न्याय एवं अधिकारति मंत्रालय, एमओएचयूए द्वारा समर्थति देश भर में ऋण मेलों का आयोजन कयिा जा रहा है।

- इसका उद्देश्य सफाई मत्तियों को सीवर/सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई के लिये टैंक सफाई मशीन/उपकरण खरीद हेतु स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई) के तहत ऋण प्राप्त करने में मदद करना है।
- NSKFDC के माध्यम से 115 शहरों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से सफाई मत्तियों का कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है।
- सेप्टिक टैंक/सीवर की सुरक्षा सफाई और खतरनाक सफाई के संबंध में शिकायतें दर्ज करने के लिये 345 शहरों में कॉल सेंटर एवं हेल्पलाइन नंबर चालू किये गए हैं।
- 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने ज़िम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण (**Responsible Sanitation Authority- RSA**) की स्थापना की है और इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 210 शहरों में स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयाँ (Sanitation Response Units- SRU) मौजूद हैं।
- भाग लेने वाले सभी 246 शहरों ने पहले ही [सिंगल यूज प्लास्टिक](#) (Single-Use Plastic- SUP) पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग:

■ परिचय:

- मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) को "सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों तथा सीवर की सफाई" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रथा **भारत की जातव्यवस्था से जुड़ी** हुई है, जहाँ तथाकथित नचिली जातियों से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है।
- आधिकारिक तौर पर **हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या** वर्ष 2018 में घटकर 42,303 हो गई, जो वर्ष 2008 में 7,70,338 थी। वर्ष 2018 में हाथ से मैला ढोने वालों का सर्वेक्षण NSKFDC द्वारा किया गया था।

■ संबंधित पहल:

- [मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिबंध और उनका पुनर्वास \(संशोधन\) अधिनियम, 2020:](#)
 - यह अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण या रखरखाव पर प्रतिबंध लगाता है और किसी भी व्यक्ति द्वारा हाथ से मैला ढोने या सीवर एवं सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई की खतरनाक प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- [मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:](#)
 - अधिनियम सभी रूपों में हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) के प्रतिबंध को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास सुनिश्चित करता है।
- [अत्याचार निवारण अधिनियम:](#)
 - यह [अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों](#) के खिलाफ वशिष्ट अपराधों का वर्णन करता है।
- [सफाई मत्तियों सुरक्षा चुनौती:](#)
 - आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के **एक गैर-सांवाधिक निकाय के रूप में कार्य** कर रहा है जिसका कार्यकाल समय-समय पर सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया जाता है।
- [स्वच्छ भारत मिशन:](#)
 - स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को सरकार द्वारा देश की गलियों, सड़कों को स्वच्छ और साफ करने तथा सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है।

स्रोत: पीआईबी